गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) इण्टरपोल-इण्डिया और लायन्स स्थित इण्टरपोल मुख्यालय में टेलेक्स, फैक्स और टेलीफोन के माध्यम से सीधा सम्पर्क है ; केन्द्रीय जांच ब्यूरो की इण्टरपोल शाखा और लायन्स स्थित इण्टरपोल मुख्यालय भी पुलिस रेडियो नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं ।

सेण्ट्रल फारेन्सिक लेबोरेटरी द्वारा निपटाए गए मामले

3978. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेण्ट्रल फारेन्सिक लेबोरेटरी को भेजे गए मामलों को कर्मचारियों की कमी के कारण निर्धारित समय पर नहीं निपटाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संगठनों, एजेंसियों से वर्षवार कितने मामले प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने मामलों को निपटाया गया है; और

(ग) मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्राप्त हुए मामलों और निपटाए गए मामलों के बारे में सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	प्राप्त मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
1990	4270	3572
1991	4787	3877
1992	4218	3355

(क) केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, दिल्ली द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो और दिल्ली पुलिस, दोनों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं । केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, दिल्ली में कार्य की अधिक मात्रा को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस के लिए एक पृथक विधि-विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति दी गई है ।

Children in Jails without Trial

3979. **SHRI RAJNI RANJAN SAHU :**
SHRIMATI VEENA VERMA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of children in jail without trial for over a year; over six months; and over one month; in the Capital and in the country as a whole;

(b) whether it is a fact that a number of children are held in prisons without trial; for petty offences; and

(c) if so, what steps are taken to minimise such atrocities on children, including their exploitation and abuse during such imprisonment ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED) : (a) and (b) Under the Juvenile Justice Act, 1986, children are not to be held in prisons.

(c) Does not arise.

लाटरियों की पुरस्कार राशि की अदायगी के संबंध में समय-सीमा

3980. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाटरी निकलने पर पुरस्कार का दावा करने के संबंध में समय-सीमा है जबकि पुरस्कार राशि की अदायगी के संबंध में कोई समय-सीमा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने पुरस्कार राशि की अदायगी की समस्या के समाधान हेतु क्या प्रयास किये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) लाटरियां चलाने में गलत तौर-तरीके अपनाए जाने के बारे में शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं । आगे की समुचित कार्रवाई के लिए इन्हें संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है । अलग-अलग मामलों के बारे में सांख्यिकीय सूचना नहीं रखी जाती है । सूचित किए गए गलत तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ने समय-समय पर राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ।

दंगों के दौरान अनाथ हुए बच्चे

3981. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों ने जनवरी, 1993 के दौरान दंगों में अनाथ हुए बच्चों की अभी तक पहचान नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि बच्चों की पहचान कर ली गई है, तो अनाथ हुए ऐसे बच्चों की राज्य-वार संख्या कितनी है और उनमें से कितने बच्चों को सहायता दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जनवरी, 1993 माह के दौरान